



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

दिनांक 16.07.2022

पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण: दिनांक 14.07.2022 की सुबह करीब 03.00 बजे मु0अ0सं0 549/2016 धारा 406/419/420 /467/468/471 ipc थाना ठाकुरगंज लखनऊ से सम्बन्धित अभि0 देवेन्द्र वर्मा उर्फ देव वर्मा पुत्र रामबली वर्मा नि0 खरगवनखेड़ा थाना बिहार उन्नाव की गिरफ्तारी हेतु थाना ठाकुरगंज लखनऊ की पुलिस व थाना बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र वर्मा उर्फ देव वर्मा के घर पर दबिश दी गयी थी, जिसमें अभियुक्त के घर वाले / परिवार के लोगों ने एक राय होकर अभि0



देवेन्द्र वर्मा उपरोक्त को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिये तथा पुलिस वालों के साथ हाथापाई व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उ0नि0 संजय कुमार गुप्ता थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0 211/2022 धारा 147/148/149/427/323/504/506/332/353/225 भादवि व 7 सीएलए एक्ट दिनांक 14/07/2022 को थाना बिहार पर पंजीकृत कराया गया। आज दिनांक 16.07.2022 को उ0नि0 राजाराम तिवारी व उ0नि0 जय नारायण मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र उर्फ देव वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 40 वर्ष 2.दिलीप वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 46 वर्ष 3.रमेश वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 41 वर्ष 4.लल्ला उर्फ योगेश कुमार पुत्र रामबली वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष 5.गोमती पत्नी दिलीप उम्र करीब 39 वर्ष 6.गीता उर्फ सीता पत्नी रमेश वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष 7.रेनू पत्नी देवेन्द्र उर्फ देव वर्मा उम्र करीब 27 वर्ष सर्व नि0 गण ग्राम खरगवनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव को ग्राम खरगवनखेड़ा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. देवेन्द्र उर्फ देव वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 40 वर्ष
2. दिलीप वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 46 वर्ष
3. रमेश वर्मा पुत्र रामबली उम्र करीब 41 वर्ष
4. लल्ला उर्फ योगेश कुमार पुत्र रामबली वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष
5. गोमती पत्नी दिलीप उम्र करीब 39 वर्ष
6. गीता उर्फ सीता पत्नी रमेश वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष
7. रेनू पत्नी देवेन्द्र उर्फ देव वर्मा उम्र करीब 27 वर्ष सर्व नि० गण ग्राम खरगवनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव वर्मा पुत्र रामबली नि० गण ग्राम खरगवनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव का

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 354/18 धारा 323/504/506/420/467/468/471 भादवि व 3(2)(VA) SC/ST ACT थाना बिहार
2. मु०अ०सं० 149/21 धारा 394 भादवि थाना बिहार उन्नाव ।
3. मु०अ०सं० 215/21 धारा 379/411 भादवि थाना बिहार उन्नाव ।
4. मु०अ०सं० 104/21 धारा 394/504/506 भादवि थाना बीघापुर उन्नाव ।
5. मु०अ०सं० 211/21 धारा 379/411 भादवि थाना पुरवा उन्नाव ।
6. मु०अ०सं० 506/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव ।
7. मु०अ०सं० 510/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव ।
8. मु०अ०सं० 511/21 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव ।
9. मु०अ०सं० 660/21 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव ।
10. मु०अ०सं० 549/16 धारा 420/467/468/471/406 भादवि थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ ।
11. मु०अ०सं० 211/2022 धारा 147/148/149/427/323/504/506/332/353/225 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बिहार उन्नाव ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० राजाराम तिवारी थाना बिहार उन्नाव ।
2. उ०नि० जयनारायण मिश्र थाना बिहार उन्नाव ।
3. हे०कां० संदीप कुमार थाना बिहार उन्नाव
4. कां० दिलीप कुमार थाना बिहार उन्नाव
5. कां० धर्मराज सरोज थाना बिहार उन्नाव
6. कां० रणवीर यादव थाना बिहार उन्नाव
7. कां० राजू थाना बिहार उन्नाव
8. म०कां० श्रुति पटेल थाना बिहार उन्नाव
9. म०कां० पुनीता थाना बिहार उन्नाव
10. म०कां० रुपा थाना बिहार उन्नाव ।



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

दिनांक 16.07.2022

पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण: दिनांक 15.07.2022 को का0 सौरभ कुमार व का0 वैजनाथ प्रसाद थाना आसीवन के साथ रात्रि पिकेट हेतु चौधरी खेड़ा नहर पुल पर खाना किया गया था। उक्त दोनों आरक्षीगण पिकेट ड्यूटी में मामूर थे कि करीब 09.45 बजे रात एक आल्टो कार नं0 UP32DE1314 रंग सफेद (सिल्वर) नहर पुल के पास आकर रुकी और उसमें से करीब 6 लड़के उतरे और सड़क सरे आम पर कुछ लड़के दारु पीने लगे। जब दोनो आरक्षियो ने टार्चें डालते हुए उन्हे मना किया कि सड़क सरेआम पर दारु मत पिओ



और घर जाओ तो इसी बात पर वह लड़के एक राय होकर गाली गलौच करते हुए दोनो आरक्षियो के साथ मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देकर भागने लगे, कि जनता के लोगो की मदद से भाग रहे अभियुक्तों में से 1.प्रभात सिंह पुत्र वैभव सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी गांव अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव 2. अभिषेक कनौजिया पुत्र रामनरेश उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव 3. रितिक चौधरी पुत्र राजकुमार उम्र 20 वर्ष नि0ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव को पकड़ लिया गया एवं मौके से 1.विपिन पुत्र रामचन्द्र तेली 2. रजत श्रीवास्तव पुत्र राजू 3.मनीष कनौजिया पुत्र शिवसागर निवासीगण अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव भागने में सफल हो गये एवं आल्टो गाड़ी नं0 UP32DE1314 को भी क जे पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/2022 धारा 147/332/353/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में भागे हुये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय हमराहियान के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर भागे हुये अभियुक्तगण 1.मनीष पुत्र शिवसरन उम्र 19 वर्ष 2.विपिन कुमार पुत्र रामचन्द्र उम्र 19 वर्ष 3. रजत श्रीवास्तव पुत्र राजू नि0गण ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव को तकिया चौराहे पर आज दिनांक 16.07.2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाने लाकर बहवाले रपट नं0 13 समय 08.30 बजे पर दाखिल किया गया। अभियुक्तगण 1.प्रभात सिंह 2. अभिषेक कनौजिया

3. रितिक चौधरी 4. मनीष 5. विपिन कुमार 6. रजत श्रीवास्तव के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. प्रभात सिंह पुत्र वैभव सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी गांव अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव
2. अभिषेक कनौजिया पुत्र रामनरेश उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव
3. रितिक चौधरी पुत्र राजकुमार उम्र 20 वर्ष नि०ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव
4. मनीष पुत्र शिवसरन उम्र 19 वर्ष नि० ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव
5. विपिन कुमार पुत्र रामचन्द्र उम्र 19 वर्ष नि० ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव
6. रजत श्रीवास्तव पुत्र राजू उम्र 18 वर्ष 6 माह नि० ग्राम अतरधनी थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अल्टो कार नं० UP32DE1314 रंग सफेद (सिल्वर)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० विनोद कुमार यादव
2. कां० हनुमान यादव
3. कां० रितेश पटेल
4. कां० सौरभ यादव
5. कां० बैजनाथ



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

दिनांक 16.07.2022

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण: आज दिनांक 16.07.2022 को 30नि0 मोहित कुमार कनौजिया मय हमराह फोर्स द्वारा थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 धारा 452,376,143,147,323,504 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त बैठू पुत्र हीरालाल निवासी पीपरखेड़ा गरडियन वाला थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को घटना स्थल त्रिभुवनखेड़ा चौराहे से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बैठू पुत्र हीरालाल निवासी पीपरखेड़ा गरडियन वाला थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. 30नि0 मोहित कुमार कनौजिया
2. का0 बृजेश कुमार



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

दिनांक 16.07.2022

जबरन जमीन पर कब्जा कर रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर रंगदारी वसूलने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण: दिनांक 07.07.2022 को वादिनी कु0 मरियम खान पुत्री फरीद खान नि0 61 ए चन्दारी कानपुर नगर द्वारा थाना गंगाघाट पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि वादिनी की कटरी पीपर खेड़ा में गाटा संख्या 1698,1699,1700,1705,2446 में रकबा 05 बीघा जमीन स्थित है, जिस पर डा0 नसीम अहमद पुत्र अखलाक अहमद, सहनावज अहमद पुत्र डा0 नसीम अहमद व रमजानी उर्फ रमजान अली पुत्र स्व0 मोहम्मद जहांगीर निवासीगण अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है तथा वादिनी द्वारा किसी भी निर्माण कार्य को कराने से रोक दिया जाता है व दो लाख रुपये की रंगदारी मागी जाती है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 326/2022 धारा 447,384,506 IPC पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.05.2022 को उ0नि0 मोहित कुमार कनौजिया मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.सहनावज अहमद पुत्र नसीम अहमद उम्र 40 वर्ष निवासी अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव, 2.रमजानी उर्फ रमजान अली पुत्र स्व0 मोहम्मद जहांगीर उम्र 42 वर्ष निवासी अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को घटना स्थल त्रिभुवनखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सहनवाज अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 40 वर्ष

2.रमजानी उर्फ रमजान अली पुत्र स्व० मोहम्मद जहांगीर निवासी अखलाख नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० मोहित कुमार कनौजिया
2. हे०का० अनिल त्रिपाठी
3. का० आशीष तिवारी